राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

राजस्थान रेजीडेन्सियल ९ज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)

कमरा संख्या 411, अम्बेडकर भवन,सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर। 0141–2220278

क्रमांकः F 2 (B) (95) लेखा/राईस/बजट घोषणा/2016/4781 जयपुर दिनांक 21-6-16

संशोधित आदेश

बजट घोषणा वर्ष 2016–17 के बिन्दु संख्या 107.0.0 की अनुपालना में आवासीय विद्यालयों में मैस भत्ते की राशि 1900 रू. से बढाकर 2000रू. प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी करने के अनुसरण में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के नियंत्रणाधीन राईस द्वारा संचालित समस्त आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों में रहने वाले बालक/बालिकाओं को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं में प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह नियत कर मदवार राशि विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2 (B) (95) लेखा/राईस/बजट घोषणा/2014/779 दिनांक 28.05.2015 द्वारा नियत की गई थी। उक्त आदेशों में उल्लेखित मदवार विवरण में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

क्र.स.	सुविधाओं का विवरण (प्रति विद्यार्थी)	संशोधित राशि प्रतिमाह (रू.)	प्रति सत्र 10 माह हेतु नियत राशि
1	भोजन मय नाश्ता, दूध विशेष भोजन, ईधन, तेल एवं साबुन इत्यादि	1500.00	15000.00
2	कपडे, स्वेटर, जूते इत्यादि (स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई–2 जोडी), जूता व हवाई चप्पल–1, 1 जोडी, मोजे–2 जोडी, स्टेटर–1, तोलिया–1, अन्तःवस्त्र–2 जोडी– बनियान, अण्डरवियर, समीज इत्यादि।	250.00	2500.00
3	सामान्य मरम्मत बिजली, वाईरिंग व फिटींग, रंग रोगन, सफेदी, सेनेटरी मरम्मत, पलंग मरम्मत आदि	50.00	500.00
4	स्टेशनरी	140.00	1400.00
5	यात्रा व्यय (वर्ष में एकबार विद्यार्थी को स्कूल से घर जाना व आना)	20.00	200.00
6	चिकित्सा व्यय (विद्यार्थियों हेतु 10 माह के लिए)	40.00	400.00
	योग	**2000.00**	**20000.00**

मद विशेष में बचत रहने की स्थिति में, उस मद की राशि का उपयोग अन्य मदों में मैस समिति की बैठक में निर्णय लेकर किया जा सकेगा। परन्तु किसी भी स्थिति में कुल व्यय राशि प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 2000/– एवं प्रति सत्र 20000/– से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 161600523 दिनांक 18.04.2016 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(रवि जैन)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

एवं सचिव राईस

D/RREIS2014/ASHOK JI/HINDI LETTER 166

क्रमांकः F 2 (B) (95) लेखा/राईस/बजट घोषणा/2016/4782-897 जयपुर दिनांक 21-6-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/आयोजना/वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2)/वित्त(बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर.........................
8. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण/एससीएसपी/सामाजिक सुरक्षा)/वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक, देवनारायण योजना, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) ....
10. कोषाधिकारी कोष/उपकोष कार्यालय ....
11. सहायक निदेशक (छात्रावास), कॉनफेड विशेष प्रकोष्ठ, मुख्यावास।
12. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्या अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ....
13. प्रधानाचार्य, राजकीय आवासीय विद्यालय .... जिला ....
14. रक्षित पत्रावली।

20/6/16

(डॉ. हरसहाय मीणा)
अतिरिक्त निदेशक
(अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण)
एवं प्रभारी अधिकारी राईस

D/RREIS2014/ASHOK JI/HINDI LETTER 167